न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 553 सन 2022

अनवान :–

1. भूराराम पुत्र सामाराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
2. हरिराम पुत्र सामाराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
3. पालाराम पुत्र सामाराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
4. सन्तोष पुत्र सामाराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
5. हनुमान पुत्र सामाराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. कृष्णा पुत्री सामाराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
2. विधा पुत्री सामाराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
3. सजना पुत्री सामाराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
4. मीरा पुत्री सामाराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपरिथत : श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 20/7/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 16 जेएसएन के खाता संख्या 118/118 की कुल 10.1200हैक में से 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सामाराम पुत्र शंकर के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सामाराम पुत्र शंकर से दर्ज है जो वादी का पिता है वादी के पिता सामाराम पुत्र शंकर का देहान्त हो चुका है सामाराम पुत्र शंकर के जायज वारिसान वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है जो सामाराम पुत्र शंकर के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 वादी की बहने है एवं सामाराम पुत्र शंकर की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अत: वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की सामाराम पुत्र शंकर जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सामाराम पुत्र शंकर के नाम से दर्ज हे जो वादीगण एव प्रतिवादी सख्या 1 ता 4 का पिता है सामाराम पुत्र शकर का देहानत हो चुका है जिसका जायज वारिसान वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है जो वाद भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी सख्या 1 ता 4 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादीगण के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

Scanned with CamScanner

व अपने कथनों के समर्थन मे ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एव प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण मे प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य मे वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 16 जेएसएन के खाता संख्या 118/118 की कुल 10.1200हैक्ट में से 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सामाराम पुत्र शंकर के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सामाराम पुत्र शंकर से दर्ज है जो वादी का पिता है वादी के पिता सामाराम पुत्र शंकर का देहान्त हो चुका है सामाराम पुत्र शंकर के जायज वारिसान वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है जो सामाराम पुत्र शंकर के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 वादी की बहने है एवं सामाराम पुत्र शंकर की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 16 जेएसएन के खाता संख्या 118/118 की कुल 10.1200हैक्ट में से 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सामाराम पुत्र शंकर के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सामाराम पुत्र शंकर के नाम से दर्ज हे जो वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का पिता है सामाराम पुत्र शंकर का देहानत हो चुका है जिसका जायज वारिसान वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है जो वाद भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है वादीगण के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एव न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी सख्या 1 ता 4 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

Scanned with CamScanner

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेशकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुती एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 16 जेएसएन के खाता संख्या 118/118 की कुल 10.1200हैव में से 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सामाराम पुत्र शंकर के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 20/07/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. भूराराम पुत्र सामाराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
2. हरिराम पुत्र सामाराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
3. पालाराम पुत्र सामाराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
4. सन्तोष पुत्र सामाराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
5. हनुमान पुत्र सामाराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. कृष्णा पुत्री सामाराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
2. विधा पुत्री सामाराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
3. सजना पुत्री सामाराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
4. मीरा पुत्री सामाराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 553 सन 2022 निर्णय दिनांक– 20/07/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 16 जेएसएन के खाता संख्या 118/118 की कुल 10.1200हैव में से 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सामाराम पुत्र शंकर के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण वहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/7/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner